95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक /16

सुकमन तनय सुदीना आदिवासी
निवासी ग्राम छिगम्मा तहसील गुनौर
जिला पन्ना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.7.2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के प्र0क0 23/अ—21/2015—16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, ग्राम छिगम्मा तहसील गुनौर व जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नं0 20/2 रकवा 0.80 हैक्टेयर भूमि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि हैं। आवेदक का स्वंय का हाथ टूट जाने के कारण इलाज कराने के लिये पैसों की आवश्यकता होने के कारण एवं अपनी पुत्री भूरी आयु 19 वर्ष का विवाह कराने के लिये आवेदक के स्वामित्व की खाता की भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकवा 0.80 हैक्टेयर का अंश भाग 0.60 हैक्टेयर अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को अंतरण करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कलेक्टर जिला पन्ना, म0प्र0 के न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3446–एक/016 जिला –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 23/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.7.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कलेक्टर जिला पन्ना को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम छिगम्मा तहसील गुनौर जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा न0 20/2 रकवा 0.80 है0 में से अंश भाग 0.60 है0 अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को अंतरण करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक ने अपने आवेदन में लेख किया है कि उसका हाथ टूट जाने के एवं पुत्री का विवाह करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमि को विक्रय करना चाहता है। कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–21/2015–16 पंजीबद्व किया तथा आवेदक के आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच करा कर आदेश दिनांक 21.7.16 पारित किया एवं आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया गया इसी आदेश से	

परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा निगरानी मेमों में दर्शाये बिन्दुओं का अध्ययन किया।

4— आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध दस्तावेजों से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे न0 20/2 रकवा 0.80 है0 में से अंश भाग 0.60 है0 अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को अंतरण करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कलेक्टर जिला पन्ना से मांगी है कि उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त कुल 0.20 है0 शेष बच रही है। जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विंक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा, शेष बच रही भूमि से वह अपना जीवन यापन करेगा। नायब तहसीलदार तहसील गुनौर जिला पन्ना द्वारा इस्तहार जारी किया एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गुनौर जिला पन्ना द्वारा दिनांक 30.12.15 को अपना प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 18.12.15 तहसीलदार तहसील गुनौर को भेजा तहसीलदार द्वारा जिला पन्ना को प्रेषित किया। आवेदक द्वारा अपने हाथ में फेक्चर होने से इलाज हेतु एवं पुत्री की शादी हेतु रूपये की आवश्यकता होने से भूमि की विक्रय अनुमति चाही गई थी। वैसे भी आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके स्वत्व की भूमि है। आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है।

तहसीलदार तहसील गुनौर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मार्या विरूद्व म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0 नि0—08 माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि—

(1) भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7—ख) तथा 158 (3) का लागू होना— उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटट्ा तथा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये —बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—उपबंध आकर्षित नहीं होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन—का सिद्वांत —नवीन उपवंध का अंतःस्थापन—भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—ऐसे उपवंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 23 / अ—21 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 21.7.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम छिगम्मा तहसील गुनौर जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नं0 20 / 2 रकवा 0.80 हैक्टेयर में से अंश भाग 0.60 है0 भूमि की विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन

प्रदान की जाती है:—

1— भूमि का कय—विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2— भूमि का कय—विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा।

3— केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य